Palash A & B

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 689875

12 MAR 2007

Khasra No 119

1. भूमि का प्रकार — कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम.. मौजा सतोह, अकबरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.122 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन...नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य... नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 700000/–रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 700000/–रुपये
9. स्टाम्प देय 70000/–रुपये जिसमें से 20000/–रुपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक 13.3.2006 पंजीकृत संख्या–10141 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 50100/–रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 500000/–रुपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या क्रमांक 29 पर दर्ज है।

[illegible] – प्रथम/द्वितीय

[illegible] 12/3/07

(5/03/07)

INDIA NON JUDICIAL

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689876

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

रूपी व कछुआ पुत्रगण स्व० श्री सुरेश निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एस०जे०पी० ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाश्याम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुख्तारआम वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

श्री कोमल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह निवासी कोयला वाली बस्ती डींगरपुरा, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689877

(3)

लाके खरी व इलुआ पुत्रगण स्व० श्री सुरेश निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम अडींग तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एम०जे०पी० ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री रमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजगन्नाथ कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुख्तार है धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689801

17 MAR 2007

(4)

जो कि आराजी भूमिधरी खाता नम्बर–351 व खसरा नम्बर–118 रकबा 0.122 हैक्टेयर लगानी 3/–रूपये सालाना बाके मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है। जिसको विक्रेता प्रथमपक्ष ने बजरिये बैनामा दिनांक–11.11.2005 जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3396 के सफा 181/200 नंबर–9248 पर दिनांक–11.11.2005 हुई, मोहनलाल से खरीदी और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000

पांच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689892

12 MAR 2007

(5)

है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी बार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है याने कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 800000/-रुपया प्रतिएकड़

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689893

MAR 2007

गा है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 700000/-रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं आ पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष की एक अच्छी व निश्चित आय हो जायेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बैनामा का मुहायदा में दिनांक-14.9.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर 1 जिल्द 3863के सफा 393/402 नंबर-10141 पर हुई

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 689878

द्वितीयपक्ष से तय किया था मुआहिदा बै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुआहिदा बै में 20000/--रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/--रूपये का स्टाम्प कमकर 19900/--रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 50100/--रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

पांच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689879

U.P. ... Stamp ...
12 MAR 2007

हो बवजह 700000/- सात लाख रुपये जिसके आधे 350000/-तीन लाख पचास हजार रुपया होते हैं। बदस्त श्री कोमल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह निवासी कोयला वाली बस्ती झीलरधाम, मथुरा के हक में है कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 200000/-रुपया खरीदार से बतौर पैशगी इकरारनामा दिनांक-14.9.2006 द्वारा पाये व 500000/-रुपये पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का वाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 689886

12 MAR 2007

अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध से कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया मय जर लगान व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार यह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उनकी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के वसूल करलें। इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषि कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषि कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद नायक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे

INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

B 689861

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

MAR 2007

अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया
है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। अब उक्त खसरा नम्बरान में कुछ भी अंश
शेष नहीं है। मुख्तारनामा आम दिनांक–5.3.2007 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब
रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–4 खण्ड 135 के सफा 125 / 132 पर नंबर–165 पर
दिनांक–5.3.2007 हुई है के द्वारा मु० रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी
पाठक वाली राजाधिराज बाजार, मथुरा को क्रेता दौलतसिंह पुत्रश्री महेन्द्रसिंह निवासी
कोयला वाली बस्ती डोंगुरपुरा, मथुरा के हक में भूमि क्रय करने कीमत का रुपया अदा
करने बैनामा पंजीकृत कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
₹ 100

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 749561

11

बैनामा का सारा खर्चा स्टाम्प फीस आदि क्रेता ने अदा किया है।

लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक--12.3.2007
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा।

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

SEP 2006

000335

1. प्रलेख का प्रकार : इकरारनामा बुहायदा बै
2. मोहल्ला/ग्राम स्थित मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. सम्पत्ति का विवरण : कृषि भूमि रकबा 0.122 हैक्टेयर
4. सौदा : 482000/—रूपये
5. एडवांस/ब्याना 200000/—रूपये
6. म्याद छै माह
7. स्टाम्प देय 20000/—रूपये
8. कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा प्रथम

स्टाम्प अधिनियम की धारा 10/4/06 के अन्तर्गत इकरारनामा सं० ... के ... किया गया ... विक्रय विलेख ... स्टाम्प शु० ... के साथ समायोजित किया गया।

विक्रेता की संख्या (2)

विक्रेता का विवरण

रूपी व कलुआ पुत्रगण स्व0 श्री सुम्मेरा निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

5000Rs

NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

098075

उप निबन्धक अधिकारी
मथुरा
08 SEP 2006

(2)

इमकि रूपी व कलुआ पुत्रगण स्व0 श्री सुमेरा निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा के हैं।

जो कि आराजी भूमिधरी खाता नंबर–351 व खसरा नंबर–118 रकवा 0.122 हैक्टेयर लगानी 3/–रूपये सालाना वाके मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत हमारी है; जिसको हमने बजरिये बैनामा दिनांक–11.11.2005 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3396 के सफा 181/200 नंबर–9248 पर दिनांक–11.11.2005 हुई, मोहनलाल से खरीदी और हमारा ही भाग दर्जकागजात सरकारी है जिस पर हमारा वास्तविक मालिकाना कब्जा है और जिसके विषय में हमको हर तरह के अधिकार मालिकाना व काबिजाना तथा हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं। और जो हर तरह के झगड़े झंझट कर्जे आदि से पाक साफ हैं जिसमें सिवाय हमारे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व संबंध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो आराजी बेचने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सकें। उक्त आराजी पर किसी भी सरकारी संस्था वित्तीय संस्था व बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई बार या भार रूकाया नहीं है। यानि कि बेचे जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत हमारी है और हमारे इसी विश्वास कराने पर कि सौदा किये जाने वाली आराजी के हम ही एक मात्र स्वामी है खरीदार उक्त आराजी को खरीदने को तैयार

रूपी

आरत

5000 Rs

JUDICIAL

Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000378

(3)

हुआ है। अब हमने अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा 482000/—चार लाख बियासी हजार रुपये में एस०के०बी० ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 114, श्रीजगन्नाथधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा से तय कर लिया है और क्रेता से 200000/—दो लाख रुपये बतौर पेशगी नकद बवक्त रजिस्ट्री इकरारनामा पाया व शेष रुपया बवक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे हैं। म्याद करने बैनामा, चूंकि हम अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और उक्त आराजी को बेचने की आज्ञा जिलाधिकारी महोदय मथुरा से लेकर व उसकी लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा खरीदार को देकर, क्रेता को सूचना प्राप्ति की तारीख से छः माह तय हुई है। हम उक्त म्याद में उक्त आराजी का बैनामा समस्त कानूनी पूर्ति करके व जिलाधिकारी महोदय से उक्त आराजी की आज्ञा लेकर व उसकी लिखित सूचना खरीदार को देकर खरीदार के नाम या खरीदार के कहे अनुसार व्यक्ति या व्यक्तियों के हक में कर देंगे। यदि हम उक्त अवधि के अन्दर उक्त शर्तों के अनुसार व जिलाधिकारी महोदय से उक्त आराजी की बेचने की आज्ञा लेकर व उसकी लिखित सूचना खरीदार को देकर उक्त आराजी का बैनामा न करूं तो क्रेता को अधि

50

NON JUDICIAL

भारत

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

000077

(4)

इकरार होगा कि वह द्वारा अदालत शर्तें पूरी कराते हुये मय हर्जा खर्चा नुकसान आदि के बैनामा करालें ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे खर्चे की हमारी जिम्मेदारी होगी और यदि हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी कर बैनामा करने को तैयार रहने पर भी क्रेता ने म्याद के अन्दर बैनामा न कराया तो फिर उसे कोई अधिकार बैनामा कराने या ब्याना वापिसी का न होगा। कब्जा तहत आराजी का वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये है। उपरोक्त इकरारनामा क्रेता व विक्रेता व गवाहान को पढ़कर व सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट किया गया है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0-2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नम्बर-6 खण्ड 123 के पृष्ठ 105/106 पर नंबर-441 पर दिनांक-2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उदय राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

लिहाजा यह इकरारनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। जिसको मैं व हमारे वारिसान पाबन्द रहेंगें।

दिनांक—13.9.2006
टाईप किया : गोपाल कृष्ण द्वारिया मथुरा।
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

46AC 444415

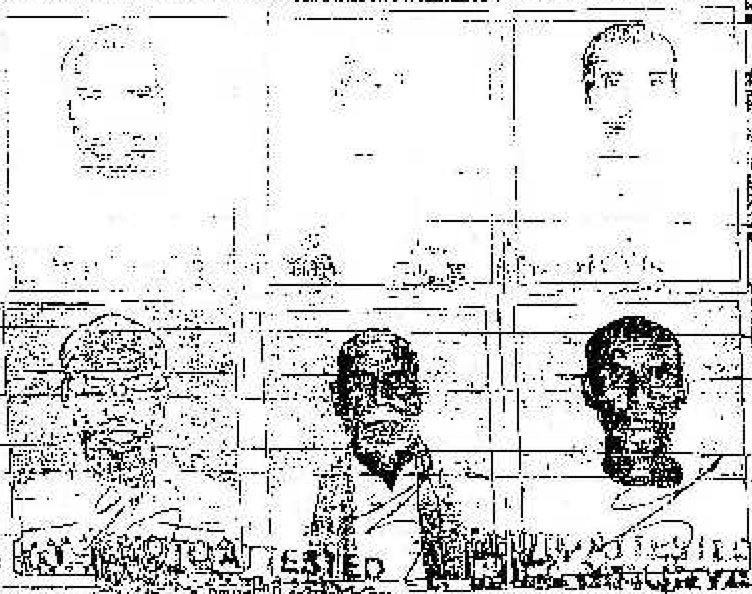

08 NOV 2005

[illegible] साक्षी—स्मम्मी उप नि० प्रथम मथुरा

बैनामा — 1,00,000/- रुपये मालियत — 1,27,000/- रुपये देयस्टाम्प 12,700/- रुपये सरकारी रेट — 4,20,000/- रुपये प्रति एकड़ पेज संख्या 4B

क्रम संख्या 21 बाके मौजा असरौली असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रय रकबा 0.122 हे० फोटो प्रमाणित आर०के० मौर्य एड० मथुरा।

यह कि सोहनलाल पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी नगला कुम्हेरिया तहसील व जिला मथुरा [illegible] प्रथमपक्ष [illegible] निवासीगण नगला कुम्हेरिया तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष [illegible] इस लेख पत्र [illegible] है जो कि आराजी भूमिधरी खाता खतौनी संख्या 321 तीन सौ इक्कीस खसरा नम्बर 118 एक सौ अठारह रकबा 0.122 हे० एक सौ बाईस एअर लगानी 37/- रुपया सालाना वाके मौजा असरौली असगरपुर तहसील व जिला मथुरा सम्पूर्ण आराजी विक्रेता प्रथमपक्ष की है। जिसकी बाबत

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] NOV 2005

प्रथमपक्ष को हस्तान्तरण के स्वामित्व व कब्जा विक्रय व हस्तान्तरण आदि के सभी वैधानिक अधिकार प्राप्त है। सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है उक्त आराजी की बाबत कोई इकरारनामा नहीं किया है। उक्त आराजी हरप्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ है [illegible] सम्पूर्ण आराजी के समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो जाने वाले को बिना कोई [illegible] उक्त आराजी [illegible] बदले 50,000/- पचास हजार रुपये जिसके आधे 25,000/- पच्चीस हजार रुपये होते हैं। [illegible] श्री सुमेरा निगम नगला [illegible] [illegible] द्वितीयपक्ष [illegible] बेच दी और कीमत

Rs 1000

ONE THOUSAND RUPEES

000336

कोषाधिकारी
[illegible] OCT 2005

(3)

रु कुल रुपया [illegible] द्वितीयपक्षगणों से नकद बवक्त बैनामा पाकर
रुपया [illegible] ना दखल बेदखली पाये और नजी परखरीदार द्वितीयपक्षगणों का बाकई
अपने समान पूरा मालकाना कब्जा दिया और खरीदार द्वितीयपक्षगण बेची
गयी आराजी के पूर्ण मालिक व स्वामी हो गये । अब वह समस्त अधिकार
मालकाना [illegible] इस्तेमाल व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावे और
जो चाहे सो करें । अब [illegible] न उनके वारिसों का बेची गयी
आराजी में कुछ भी हकूक [illegible] किसी प्रकार का शेष नहीं
रहा और न [illegible] से होगा । अगर कभी कोई व्यक्ति
बेची गयी आराजी की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या ।

ONE THOUSAND RUPEES

कुलिश्वका जानाजी खरीददार द्वितीयपक्षगण में से निकल जावे या कही हक
आदि निकले तो विक्रेता प्रथमपक्ष को हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी
होगी। खरीददार द्वितीयपक्षगण अपनी कीमत का दिया गया रुपया मय
खर्चे व नुकसान [illegible] किये गये रुपयों को मय सूद के प्रथमपक्ष
व उसकी [illegible] की चल अचल सम्पत्ति से [illegible] लिये अदालत
वसूल करेंगे, जिसमें प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों किसी प्रकार का उज्र न
होगा। [illegible] गवाहों के [illegible] निशान अंगूठे के अन्दर तथा सही [illegible] लिख दिया।

[illegible]

FIVE HUNDRED RUPEES

(5)

जिलाधिकारी नक्शा संलग्न है। बेची गयी आराजी का बाजारी मूल्य 50,000/- रुपये के अलावा 10 पेड़ 6,20,000/- रुपये प्रति एकड़ की होने के कारण स्टाम्प शुल्क 1,27,000/- रुपये की मालियत पर अदा किया गया है। सम्पूर्ण आराजी का विक्रय हो रहा है बेची गयी

10-09-2011

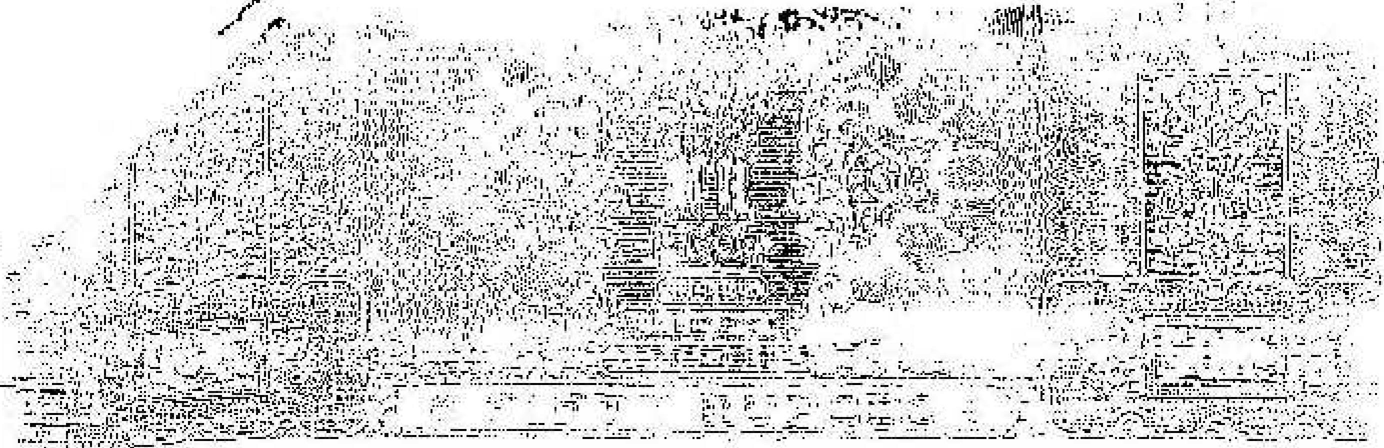

(6)

आराजी में कोई, [illegible] वगैरह [illegible] आदि नहीं है।

उपरोक्त क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त

(7)

दस्तावेज के साथ नक्शा खतौनी व खसरा की छायाप्रति संलग्न है।

अतः यह इकरारनामा अपनी राजी व खुशी से लिख दिया कि सनद रहे।

।।८।।

और समय पर काम आवे। उक्त दस्तावेज दोनों पक्षों के कहे अनुसार

हमने मजमून [illegible] पढ़कर व सुनकर टाईप व ड्राफ्ट किया

गवाह है [illegible]

[illegible]

तहरीर दिनांक [illegible]05

टाईप किया – [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] प्रसाद

नि0 [illegible]

ड्राफ्ट किया – [illegible] मथुरा

गवाह – [illegible] पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

गवाह – विजयसिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह

[illegible]

[illegible]

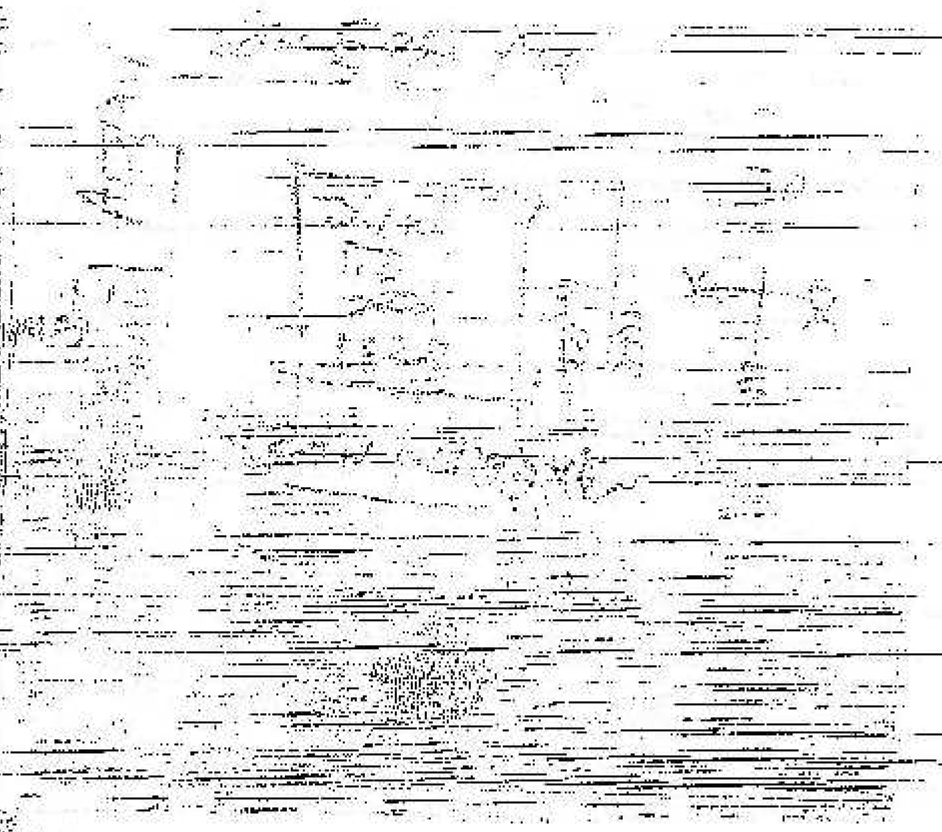

उद्धरण खतौनी

परगना : मथुरा तहसील : सदर

ग्राम क्रमांक : 0701 1200101 ग्राम का नाम : रसौहो अलनार पुर भाग : 1

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश का उल्लेख संख्या उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो।									
00351	मोहनलाल	गुलाब	मे. ग्राम	1409फ	118	0.1220		1413 फ. व आदेश श्रीमान्‌ तह. मथुरा के वाद सं 123 NTM ता के 13.01.05 के अनुसार ग्राम सतोहा असगरपुर के खाता सं 351 के गा. सं. 118 रकबा 0.122 हे. रु. 2.00 रु. विक्रेता मोहनलाल पुत्र गुलाबसिंह नि. नगला कार्तिक का नाम खारिज कर क्रेता रूपी व मनबशा पुत्रगण सुरेश नि. नगला कार्तिक का नाम दर्ज कि. सं. 4 [illegible] करे हे. ह. ARK 13.01.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार [illegible] वाद संख्या 377A1M ता. 17.04.07 के अनुसार खाता संख्या 351 खसरा संख्या 118/0.122 हे[illegible] 2.03 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निवासी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का नाम दर्ज किया दिनांक 13.03.07 के आदेश पर दर्ज कराया अंकित हो [illegible] 17.04.07 1415फ व आदेश श्रीमान न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा के वाद संख्या 12/4/05-07 [illegible] सिंह बनाम सरकार धारा 143 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेश दिनांक 25.06.0 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] खाता संख्या 351 खसरा संख्या 118 रकबा 0.122	

क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : [illegible] परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता/ खतौनी का संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------2--------------------			3	4	5	6	7-12	13
								लगानी 3.00 को [illegible] किया जाता है [illegible] 03.10.07	
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे. : 0.1220	3.00		

हस्ताक्षर

109

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07610260101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना : मथुरा तहसील : मथुरा

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खाता खतौनी का संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते में प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका निर्देश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00121	सोनल सिंह	नरेन्द्र सिंह	नि. कोयला वाली गली डोंगरपुरा मथुरा	1414फ	118	0.1220		1415फ व आदेश श्रीमान न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा के वाद संख्या 154/06-07 कोमलसिंह बनाम सरकार धारा 143ज0वि0अधि0 मौजा सतोहा असगरपुर परगना व तहसील आदेश दिनांक 23.06.07 के अनुसार प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है खाता संख्या 351 खसरा संख्या 118 रकबा 0.122 लगानी 1.00 को अकृषिक घोषित किया जाता है ह0 सह0 03.10.07	
				योग गाटे : 1	क्षेत्रफल :	0.1220	3.00		

हस्ताक्षर

पृष्ठ संख्या : Page 1 of

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मथुरा
वाद संख्या 15¼/2006-07
कोमलसिंह बनाम सरकार

धारा 143उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0
मौजा सतोहा असगरपुर

अकृषिक घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 6.6.2007 से विदित है कि मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 146 खसरा 78 रकबा 0.126है. भूराजस्व 2.85पैसे व खाता संख्या 351 खसरा संख्या 118रकबा 0122है.भूराजस्व 3.00पैसे व खाता संख्या 372 खसरा संख्या 79 रकबा 0.126 भूराजस्व 2.85पैसे के कोमल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कोयलावाली बस्ती झींगुरपुरा मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन आदि कृषि के कार्यों मे नहीं लाई जा रही है। यह भूमि विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्नप्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है:-

मौजा परगना व जनपद	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवासस्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में आने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकबा	भूराजस्व	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
सतोहा असगरपुर मथुरा	कोमल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कोयलावाली बस्ती झींगुरपुरा मथुरा	146	78	0.126है.	2.85पैसे	78	0.126है.	2.85पैसे	अकृषिक
		351	118	0122है.	3.00पैसे	118	0.122है.	3.00पैसे	अकृषिक
		372	79	0.126है.	2.85पैसे	79	0.126है.	2.85पैसे	अकृषिक
			3किता	3किता 0.374है.	8.70पैसे	3किता	0.374है.	8.70पैसे	

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

(राकेश चन्द्र शर्मा) 23/6/07
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित

(राकेश चन्द्र शर्मा) 23/6/07
उप जिलाधिकारी, मथुरा

उप जिलाधिकारी मथुरा

क्रमांक 1078
नाम प्रार्थी
आवेदन की तिथि 22/6/07
23/6/07

INDIA
ONE RUPEE

सत्य प्रतिलिपि
सहलग्नक, उपजिलाधिकारी
मथुरा
29/6/07

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	365

362

367

[illegible]

950

12.2.08

14.2.08

18.2.08

[illegible]

आकार पत्र-४५

(नियम ८७)

[illegible] अधिनियम की धारा 27 [illegible]

ग्राम [illegible] परगना मथुरा तहसील मथुरा जिला मथुरा

खातेदार की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	
३५२	[illegible]		[illegible]	[illegible]	३.००	[illegible]
२६६	[illegible]		१०.३	०.६२०	१०.००	३.५६

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखागार

मथुरा

[illegible] 24.22 (5)

2-11-03

[illegible] कर्ता [illegible]

[illegible] कर्ता [illegible]

मु० [illegible] 2-2003-12-00-000

[illegible]

(मुख्य कृषि/वर्ष मुताबिक)

शमशेर आलमपुर | आगरा | मथुरा | आगरा

					श्रेणी (Class)	सिंचाई का साधन	
११०	०.०२५	२५ मि०	०.०१०	६१०	बरहा अव्वल दोड	—	बंजर
		२५ मि०	०.००६		बरहा अव्वल दोड	—	
		२५ मि०	०.००६		बरहा अव्वल दोड	—	
१११	०.१६२	२५ मि०	०.१६२	१३१	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	१५
११२	०.१६५	२५ मि०	०.१६१	१५.०	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	
११३	०.१६२	२५ मि०	०.१६२	१६३	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	
११४	[illegible]	[illegible]	[illegible]	६५०	बरहा अव्वल दोड	—	चकमार्ग
११५	०.१८२	२२ मि०	०.१८२	७८२५	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	[illegible]
११६	०.१८२	२२ मि०	०.१८२	६१	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	[illegible]
११७	०.६३०	२२ मि०	०.६३०	४०५	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	[illegible]
११८	०.१२२	२२ मि०	०.१२२	२२५	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	[illegible]
११९	०.०८६	५१ मि०	०.०८५	७१९	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	५८
१२०	०.०८६	५१ मि०	०.०८६	२१६	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	[illegible]
१२१	०.०८८	५१ मि०	०.०८८	५४८	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	५८
१२२	०.०८६	५१ मि०	०.०८६	१२४	बरहा अव्वल दोड	नलकूप	[illegible]
	१.०८६६						
	जोड़	१.०८०					
	अ-जोड़	०.००६				निर्मित नलकूप १.०८०	

लेखपाल हस्ताक्षर [illegible] | सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

खतौनी [illegible] -10 [illegible] 23

मौजा — [illegible] परगना [illegible] जिला [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मोहन लाल पुत्र गुलाब — निवासी ग्राम।	[illegible]	[illegible] 12-[illegible]	1-[illegible]	22	1-115		1.115	[illegible]	6-[illegible]	[illegible]	
				2	1-115		1-115	—	6-12	26-[illegible]	
			[illegible]	2	0-126		0-125	—	[illegible]	[illegible]	

मुन्नी [illegible] — [illegible] | [illegible] 1250 | X [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] तिवारी

[illegible] 2 [illegible]

[illegible] [illegible] प्रति[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (2023)
[illegible] की तिथि [illegible]-08
[illegible] तिथि [illegible] 12-3-08
[illegible] [illegible]
[illegible]

ह० मिलान कर्ता

ह० मुहर्रिर कर्ता

ह० नकल कर्ता

[illegible]

जिला रायपुर

उदय शुक्ल
राजस्व अभिलेखपाल
रायपुर

[illegible]

[illegible]	[illegible]		१-११६	७-६५	१-२५	[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] के का [illegible]

[illegible] का [illegible]

[illegible]

परगना — खैरीगढ़
मौजा — [illegible]

श्रेणी 2 — ... भूमिधरी जो और देशों के अधिकार ... में है, 1 फ.20, ... के शिक्षाबन्धन

सन् 1382 से 1387 फ०

	हरिप्रसाद पुत्र गनेशी	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	निवासी ग्राम	[illegible]			

2253

[illegible]

TREASURY

09 NOV 2005

[illegible]

12 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आज दिनांक **14/09/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **3863**

पृष्ठ सं **393** से **402** पर कमांक **10141**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
14/9/2006

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं 1983
मथुरा

आज दिनांक **13/03/2007** को
बही सं **1** जिल्द सं **4194**
पृष्ठ सं **185** से **208** पर क्रमांक **3043**
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
13/3/2007